क्रेता का इकरारनामा

[निविदा सूचना की शर्त 16]

यह इकरारनामा आज, दिनांक..............................माह..............................सन्..................को प्रथम पक्ष..............................के मार्फत कार्य करते हुए राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हे इनमें इसके आगे "राज्य सरकार कहा गया है" जिस अभिव्यक्ति से उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री..............................आत्मज..............................ग्राम.............................. तहसील..............................जिला..............................(जिन्हें इसमें इसके आगे "क्रेता" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके दायाद उत्तराधिकारी प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य में किया जाता है।

चूंकि तेन्दु के पत्तों का व्यापार राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा होता है,

और चूंकि राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये विभिन्न इकाइयों के क्रेताओं की नियुक्ति करने की इच्छुक हैं,

और चूंकि राज्य सरकार इसमें इसके पश्चात् दिये हुए निबन्धनों तथा शर्तों पर क्रेता की पेशकश को प्रति ग्रहित कर लिया है और उसे..............................वन मण्डल में इकाई क्रमांक......................में 31 जनवरी 200,.............को समाप्त होने वाली अवधि के लिये क्रेता के रूप में नियुक्त करने के लिये रजामन्द हो गई है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित वार्ता का साक्षी और इसके सम्बंधित पक्ष एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. ....वन मण्डल की इकाई क्रमांक......................में जिसे अनुसूची "क" में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है जो (इसमें/इसके आगे "इकाई" के रूप में निर्दिष्ट है) क्रेता राजकीय वन तथा भूमियों से तेन्दू पत्ते का संग्रहण करेगा तथा इकाई के निजी उत्पादक से राज्य सरकार, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय किये गये पत्तों की सम्पूर्ण मात्रा जिसकी पेशकश की गई हो का परिदान लेगा।

2. यह करार..............................से प्रारम्भ होगा और दिनांक......................तक प्रवृत रहेगा जब तक कि यह इस करार के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार ही पूर्व हो परिवर्तित न कर दिया जावे।

3. इस इकरार के सम्बन्ध में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि वह राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के तथा साथ ही निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों के जो सब इस इकरार के भाग होंगे, और उसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा वे इस प्रलेख में निर्दिष्ट रूप से उपबन्धित है, उपबन्धों के अधीन है।

4. क्रेता एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ नियमानुसार अभिव्यक्ति रूपेण करार करता है:-

(क) (I) क्रेता राजकीय वनों तथा भूमियों से..............................प्रति मानक बोरा की दर से संग्रहण किये गये तेन्दू पत्तों की समस्त मात्रा एवं राज्य सरकार द्वारा या उनके पदाधिकारी, अभिकर्ता द्वारा 31-1-200.............को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान हरे कच्चे, बिना बोरे भरे, निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत किये गये तेन्दू पत्ते के लिये......................रु. क्रय राशि की अदायगी करेगा जिसमें सेल्स टैक्स तथा अन्य कर एवं संग्रहण व्यय शामिल नहीं है।

(II) क्रेता तेन्दू पत्ता संग्रहण के समय तेन्दू वृक्ष की छोटी डालियों, कच्ची पत्तियों को अनावश्यक रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा। अगर क्रेता इस प्रकार की त्रुटि ठेका सत्र में 3 बार करेगा तो संबन्धित मण्डल वन अधिकारी को ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।

(III) क्रेता सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित संग्रहण दर से ही प्रतिदिन श्रमिकों को देय पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में करेगा।

नोट :- क्रेता उसको दी जाने वाली प्रति मानक गड्डी में 5 पत्तों की कमी-बेशी के बाबत कोई आपत्ति नहीं उठायेगा।

(ख) (I) क्रेता निजी उत्पादकों से इसमें इसके पश्चात् उल्लेखित की गई रीति से क्रय मूल्य को देनगी करने के पश्चात् तुरन्त ही पत्ते इकट्ठे होने के दिन से दो दिन के भीतर, इकाई में संग्रहण केन्द्र या केन्द्रों पर अनुसूची (ख) में, वर्णित स्थानों पर या ऐसे स्थानों पर जो सहायक वन संरक्षक से;

निम्न पदाधिकारी न हो द्वारा समय-समय पर प्रज्ञापित किया जावे, तेन्दू के पत्ते का परिदान लेगा, उपरोक्त अभिप्राय के लिए खरीददार अग्रिम अदायगी करेगा जिसका कि समायोजन परिदान के समय में किया जावेगा।

(II) उपरोक्त प्रयोजन के लिये क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्रों में एक प्रतिनिधि रखना होगा, जिसे पत्तों के संग्रह करने की तिथि से दो दिन के भीतर ही पत्तों का परिदान लेना होगा। इकाई में पत्तों का संग्रहण प्रारम्भ होने के पूर्व नमूने के हस्ताक्षरों सहित प्रतिनिधियों के नाम मण्डल वन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

(III) यदि क्रेता इसके आगे उपबन्धित रीति से क्रय मूल्य का भुगतान करने तथा संग्रहण की तिथि से दो दिन के भीतर पत्तों का परिदान लेने में असफल रहता है तब मण्डल वन अधिकारी ऐसे पत्तों की समस्त या आंशिक मात्रा का अपने स्वविवेक से—

(अ) क्रेता को परिदान अस्वीकृत

अथवा

(ब) किसी भी अन्य व्यक्ति को परिदान

अथवा

(स] क्रेता को ही निगरानी खर्च बतौर रुपया 1/- (एक रुपया) प्रति मानक बोरा अतिरिक्त धन राशि की वसूली करने के पश्चात् परिदान और/अथवा

(द) उल्लंघन के लिये करारनामे में उपबन्धित कोई भी कार्यवाही कर सकता है। यदि यथास्थिति राज्य सरकार, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता ऐसे पत्तों को जो कि क्रेता को बाद में परिदत्त किये जांय की सुखाई तथा बोरों में भराई का निश्चित खर्च का क्रेता भुगतान करेगा तथा उनका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(ग) यदि क्रेता नीचे वर्णित (घ) के उपलब्धों के अनुसार उसके द्वारा राजकीय वन तथा भूमियों से संग्रहित पत्तों को एवं राज्य सरकार उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर उसे (क्रेता को) परिदान हेतु प्रस्तुत पत्तों को अपने गोदाम में निरापद रखने के लिये इच्छुक नहीं होता तो वह उपरोक्त समस्त तेन्दू पत्तों की संग्रहण केन्द्रों से निकासी करने के पूर्व मूल्य का भुगतान नीचे निर्दिष्ट रीति से करेगा।

(एक) क्रेता निजी भूमि से परिदान के लिये सम्भावित मात्रा के लिये अधोलिखित दरों से परिक्षेत्राधिकारी अथवा मण्डल वन अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को परिदान के समय अथवा उससे पूर्व नकद में भुगतान ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त करके करना होगा।

	मद	दर प्रति मानक बोरा
	(1)	(2)
1.	राज्य सरकार को छोड़कर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीद की दर	..............................रुपये
2.	राजकीय अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय	..............................रुपये
3.	राजकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक	..............................रुपये

(दो) क्रेता संग्रहण केन्द्रों से समस्त तेन्दू पत्ता की निकासी करने से पूर्व क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट या कॉल डिपाजिट रसीद द्वारा पूर्ण मूल्य/पूर्ण मूल्य की शेष राशि का भुगतान करेगा।

(घ) (1) यदि क्रेता उसके द्वारा राजकीय वन तथा भूमियों, से संग्रहित एवं राज्य सरकार उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत तेन्दू पत्तों की समस्त मात्रा को प्रदेश के भीतर गोदाम(मों) में मण्डल वन अधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित कराके निरापद रखने के लिये लिखित में सहमत होता है, अथवा परिदत पत्ते वन विभाग से सम्बन्धित गोदाम (मों) में ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जैसे कि पारिस्परिक सहमति द्वारा विनिश्चित किया जावे अथवा क्रेता परिदत पत्तों को प्रदेश के किसी अन्य वन मण्डलों में स्थित अपने गोदाम (मों) में सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी जिसके

क्षेत्राधिकार में वह इकाई स्थित हो, से अनुमोदित कराके निरापद रखने के लिये लिखित रूप से सहमति देता है तथा जब तक गोदामों में रखे जाने वाले पत्तों के बाबत सम्पूर्ण रकम जमा नहीं हो जाती तब तक उसके पर्याप्त नियन्त्रण के लिए एक फोरेस्ट गार्ड के रखने में उस पर लगने वाले समस्त निरीक्षण व्यय रुपये........ प्रति माह की दर से तथा उसमें समय-समय पर होने वाली वृद्धि सहित वहन करने एवं उस रकम को अग्रिम रूप से तथा उसे जमा करने की लिखित रूप से सहमति देता है तो वह नीचे निर्दिष्ट रीति से क्रय मूल्य का भुगतान करेगा :-

(एक) क्रेता, राज्य सरकार या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत किये गये तेन्दू पत्तों की मात्रा के लिये अधोलिखित दरों से परिक्षेत्राधिकारी को अथवा वन मण्डल अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को परिदान के समय अथवा उसके पूर्व नकद में भुगतान करेगा ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त करके रखना होगा ।

	मद	दर प्रति मानक बोरा
	(1)	(2)
1.	राज्य सरकार को छोड़कर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीद की दर	................................रुपये
2.	राजकीय अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय	................................रुपये
3.	राजकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक	................................रुपये

(दो) आंशिकक्रय मूल्य जो पूर्ण क्रय मूल्य का दस प्रतिशत होगा का भुगतान क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट या काल डिपोजिट रसीद द्वारा 15 मई, 20..........तक करेगा ।

(तीन) क्रेता शेष क्रय मूल्य का अनुमानतः तीन बराबर की किस्तों में क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट या कॉल डिपाजिट रसीद द्वारा भुगतान करेगा ।

किस्त	राशि	भुगतान की तिथि
(1)	(2)	(3)
पहली किस्त	....	1 अक्टूबर
दूसरी किस्त	....	1 नवम्बर
तीसरी किस्त	....	1 दिसम्बर

जैसे ही क्रेता एक किस्त का भुगतान कर देता है वह इस शर्त के उपबन्धों के अन्तर्गत गोदाम में रखे पत्तों की मात्रा ⅓ भाग को पाने का हकदार बन जायेगा । यदि क्रेता द्वारा किसी किस्त का भुगतान आंशिक रूप से किया जाता है तो उस भुगतान की गई रकम के ⅓ मूल्य का तेन्दू पत्ता गोदाम से परिदान किया जायेगा जब उस किस्त की रकम पूर्ण रूप पट जावेगी तो उपरोक्तानुसार क्रेता को गोदाम में रखे ⅓ पत्तों का परिदान किया जावेगा ।

(घ) (2) पत्ते क्रेता की अभिरक्षा देखरेख पर्यवेक्षक तथा जोखिम; लेकिन मण्डल वन अधिकारी के नियन्त्रण में रखे जावेंगे ओर इस शर्त पर कि गोदामों में विभागीय ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया द्वारा जैसा कि मण्डल वन अधिकारी ने आदेशित की हो मण्डल वन अधिकारी अथवा क्षेत्रीय अधिकारी को अधिगमन तथा नियन्त्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(घ) (3) गोदाम पक्के होंगे तथा ऐसी धन राशि के बराबर के लिए बीमा शुदा होंगे जो कि क्रेता के ऊपर सम्भवतः बकाया होगी । बीमा की गई धन राशि के अतिरिक्त वह, जहाँ वन विभाग की गोदाम (मों) में किराये पर ली जाती है, उनका बीमा उनके निर्माण के व्यय के बराबर की धनराशि का करायेगा ।

(घ) (4) ऐसी किस्त या किस्तों के सम्बन्ध में जो उपर्युक्त उप-खण्ड (तीन) में वर्णित नियत दिनांक या दिनांकों को न चुकायी जाये/जायें 16% की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा ।

(घ) (5) यदि क्रेता उपरोक्त शर्तें (ग) एवं (घ) (तीन) के स्थान पर बैंक गारन्टी देने एवं पत्ता प्राप्त करने की सुविधा उठाना चाहता है तो उसे इकाई की स्वीकृति क्रय राशि के बराबर की राशि की अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी उस फार्म में जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे तथा जिसकी अवधि 31 मार्च, 200....... तक होगी, 15 मई 20.. ....तक सम्बन्धित वन मण्डल

अधिकारी के नाम उनके कार्यालय में जमा करानी होगी। इस बैंक गारन्टी के आधार पर क्रेता उसके द्वारा संग्रहण किये गये तथा निजी उत्पादकों से राज्य सरकार उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता से उप शर्त "ग" के अन्तर्गत निर्धारित दरों से क्रय राशि के भुगतान करने पर क्रय किये गये तेन्दू पत्ता को परिवहन करने की अनुमति दी जावेगी अर्थात् समस्त पत्ता क्रेता को मुक्त कर दिया जायेगा। क्रेता द्वारा क्रय राशि जिसमें विक्रय कर एवं अन्य कर भी सम्मिलित होंगे का भुगतान उप शर्त (तीन) में निर्धारित देय तिथियों को क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट या कॉल डिपोजिट रसीद द्वारा करना होगा। निर्धारित तिथि को किश्त की अदायगी क्रेता द्वारा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा वन मण्डल में जमा की गई बैंक गारन्टी में से देय राशि की वसूली की जावेगी।

यदि क्रेता पूर्ण क्रय मूल्य की राशि के स्थान पर 45 प्रतिशत क्रय राशि की बैंक गारन्टी 31मार्च, 200 ... तक को उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करता है तो उसे गोदाम में रखे पत्तों का $\frac{1}{3}$ भाग मुक्त किया जावेगा। प्रथम किस्त की देय तिथि को प्रथम किश्त का भुगतान क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट्स या काल डिपोजिट रसीद द्वारा कर दिये जाने पर क्रेता की इसी बैंक गारन्टी पर गोदाम में शेष बचे पत्तों की मात्रा में से आधी मात्रा (बराबर कुल संग्रहण की एक तिहाई मात्रा) मुक्त कर दी जावेगी।

दूसरी किश्त की देय तिथि को देय किश्त का भुगतान कर देने पर क्रेता को गोदाम में रखी अन्तिम शेष मात्रा (बराबर कुल उत्पादन के एक तिहाई मात्रा) से मुक्त कर दी जावेगी। तीसरी किश्त की देय तिथि को किश्त का भुगतान क्रेता द्वारा किया जावेगा। यदि क्रेता द्वारा देय तिथि/ तिथियों की किश्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो देय राशि की वसूली बैंक गारन्टी में से की जावेगी और पुनः आगामी किश्त के लिये इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये क्रेता को नई बैंक गारन्टी देनी होगी। क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि का भुगतान कर दिये जाने पर पूर्ण क्रय मूल्य की बैंक गारन्टी अथवा 45प्रतिशत मूल्य की बैंक गारन्टी को मुक्त कर दिया जावेगा। जब तक पत्ता गोदामों में रहेगा गोदामीकरण से सम्बन्धित उप शर्त (2) एवं (3) क्रेता पर लागू होगी।

(ङ) (1) उपयुक्त उप-खण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन देय रकम के अतिरिक्त यथास्थिति राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 29, 1954) और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 74, सन् 1956) के उपबन्धों के अनुसार वन विभाग द्वारा देय विक्रय कर उपर्युक्त उप-खण्ड (ग) और या (घ) के अधीन देय क्रय मूल्य दिये जाने के समय क्रेता द्वारा चुकाया जावेगा।

(2) उप-खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शोध्य रकम या किस्त जैसी भी दशा हो तब तक चुकाई गई नहीं समझी जावेगी जब तक कि उसके साथ देय बिक्रीकर [देखिये उप-खण्ड (ङ)(1)] भी पूर्णतः न चुका दिया गया हो क्रेता पश्चात्वर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो जिसमें कि इस इकरार के अधीन उसको बेचे गये तेन्दू पत्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विक्रय कर विभाग या केन्द्रीय सरकार या वन विभाग द्वारा विक्रय कर के मुद्दे अधिरोपित की गई अतिरिक्त धन राशियों की देनगी सम्मिलित हो उत्तरदायी होगा।

(च) राज्य सरकार या उसका पदाधिकारी या अभिकर्ता क्रेता का पत्तों के संग्रहण-परिदान के पश्चात् राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियमावली 1974 के प्रारूप (ङ) में उसका विक्रय का प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा।

(छ) यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में निर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

(ज) क्रेता राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और इन्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 (भारतीय वन अधिनियम 1927) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस इकरार के सन्दर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित समस्त कार्य तथा कर्त्तव्यों को करने तथा निर्दिष्ट किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा या उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस इकरार के निबन्धनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किये जाने के लिये उक्त वन पदाधिकारी के पक्ष में निक्षिप्त की गई __________ रुपये (रुपये __________) की राशि में प्रतिभूति देगा। क्रेता यह और भी करार करता है कि ऐसी प्रत्येक चूक के लिए राज्य सरकार को 500/-(पांच सौ) रुपये की धन राशि की देनगी करेगा जो उसके द्वारा की गई हो अथवा ऐसे प्रत्येक चूक के लिये जो कि राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा इस इकरार का उल्लंघन करते हुए, उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों द्वारा किये गए हैं।

(झ) यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करे, और यदि किसी भंग के कारण इकरार को समाप्त करने प्रस्तावित न हो तो मण्डल वन अधिकारी प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो 500/– (पांच सौ) रुपये से अधिक न हो अधिरोपित कर सकेगा। नकद शास्ति की राशि 200/– (दो सौ) रुपये से अधिक हो, तो इस आदेश के विरुद्ध अपील वन संरक्षक को इस आदेश के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर की जा सकेगी, जिसका कि विनिश्चय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(ञ) यदि क्रेता अदायगी करने में या इस प्रलेख के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर जो कि राज्य सरकार को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वन संरक्षक (प्रादेशिक) अपने विकल्प पर इस करार को समाप्त कर सकेगा तथा पूरे प्रतिभूति निक्षेप का अधिहरण कर सकेगा और राज्य सरकार या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता या क्रेता के पास पड़े हुये तेन्दू पत्तों के अपरिदत्त स्टाक को और/अथवा उपरोक्त शर्त (4) (घ) के अनुसार गोदाम में रखे तेन्दू पत्तों को यदि कोई हो जब्त कर पुनः बेच सकेगा यदि ऐसे पुनः विक्रय पर प्राप्त हुआ मूल्य ऐसे अपरिदत्त स्टाक या गोदाम में रखे स्टाक के क्रय मूल्य से कम होता है तो अन्तर की देनगी क्रेता द्वारा मांग सूचना में उपदर्शित की गई राशि की देनगी के लिये मण्डल वन अधिकारी द्वारा जारी की गई मांग सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर की जावेगी। यदि वह अन्तर राशि पन्द्रह दिन की उपर्युक्त कालावधि के भीतर न चुकाई जाय तो वह क्रेता से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली की जायेगी इसके अतिरिक्त राज्य सरकार क्रेता को ऐसी अवधि के लिये जो पांच साल से अधिक नहीं हो, काली सूची में अंकित कर सकेगी। परन्तु यदि पश्चात्वर्ती निवर्तन में अधिक राशि प्राप्त होती तो उस अधिक राशि पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं होगा।

5. क्रेता ऐसे प्रपत्रों पर ऐसा लेखा रखेगा तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियों ऐसी तिथियों को प्रस्तुत करेगा जैसा कि अनुसूची (ग) में वर्णित है तथा जैसा कि मण्डल वन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय तथा मंडल वन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करेगा।

6. यदि क्रेता नियुक्त होने पर इकाई में सम्मिलित क्षेत्र में शाख कर्तन (कल्चरल आपरेशन करना चाहता है तो वह राज्य सरकार से कोई खर्च पाने के अधिकार के बिना तथा जब तक कि राज्य सरकार अथवा उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा एकत्रित पत्ते क्रेता को परिदत्त नहीं किये जावे इकाई के पत्तों में राज्य सरकार के स्वत्वाधिकार पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कर सकेगा। परन्तु शाख कर्तन (कल्चरल आपरेशन) मंडल वन अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही तथा ऐसी अन्य विधि तथा ऐसी कालावधि के दौरान की जावेगी जैसा कि उनके द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाय।

अनुसूची–क

अनुसूची–ख

अनुसूची–ग

आदि।

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बन्धित पक्षों ने प्रथम बार ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

राजस्थान के राज्यपाल के लिए तथा
उनकी ओर से कार्य करते हुए

.............................के हस्ताक्षर

साक्षीगण–1 ....

साक्षीगण–2 ....

की उपस्थिति में

साक्षीगण–1 ....

साक्षीगण–2 ....

....

क्रेता के हस्ताक्षर